न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला अनूपगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–अजीत कुमार गोदारा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 20/2022

जीसीएमएस नं. :– 2022/256

अजायब सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजबी निवासी 60 जी.बी.–बी तहसील व जिला अनूपगढ़।

–– प्रार्थी

बनाम्

1. अर्जुन सिंह पुत्र कानसिंह जाति जटसिख निवासी 60 जी.बी.–बी तहसील व जिला अनूपगढ़।
2. जगराज सिह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी 60 जी.बी.–बी तहसील व जिला अनूपगढ़।
3. राज सिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति जटसिख निवासी 60 जी.बी.–बी तहसील व जिला अनूपगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़।

–– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–251 'क' राज.काश्त अधिनियम</u>

–:: <u>निर्णय</u> ::– **दिनांक :– 12.08.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आवेदक के नाम से आवेदक के नाम से वाके चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.न.37 पं. न. 243/462 का कि.न.4/1,5/1,6,7/1,14/1, 15, 16, 17/1 24/1, 25 में कुल 2.024 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि व कि.न. 20/2 में 0.127 हैक्टर नाली दोयम सयुक्तं रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो आवेदक के कब्जा काश्त में चली आ रही है जमाबन्दी की प्रति सलग्नं है ।

अनावेदकगण मे से आवेदक सं.1 [illegible] (बी) तहसील अनूपगढ का मु.न.29 पं.न.243/461 का कि.न.13 [illegible] हैक्टर नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि, आवेदक सं. 2 के नाम से [illegible] 13/2 का 1.328 हैक्टर [illegible] प्रथम खातेदारी कृषि भूमि एवं अनावेदक [illegible] रब्बा का कि.न.1,2,3,4,10 [illegible] में 1.328 हैक्टर नाली प्रथम खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त कृषि भूमि अनावेदकगण के अधिकार, अधिपत्य व कब्जा काश्त में है। जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलग्नं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

अनावेदकगण के अधिकार व अधिपत्य की उपखण्ड व तहसील अनूपगढ के चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.न.29 पं.न.243/461 का कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिसे स्वीकृत किया जावे जो रास्ता गावं 60 जी बी (बी) की खडवजा सडक से रास्ता शुरू होता जो रास्ता मु.न.26 के कि.न. 1,10,11,20,21 की लाईन पर बनी उक्त खडवजा सडक से मु.न. 28,29 से आगे सीधे मु.न.37,38,40 के कि. न. 1,10,11,20,21 की लाईन पर पिछले करीब 50 वर्षो से कच्चा रास्ता चालू है जो रास्ता प्रार्थी के मु.न.37 तक पहुचंता है चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से आवेदक अपनी खातेदारी कृषि भूमि में प्रवेश कर सकेगा तथा जो रास्ता गावं 60 जी बी की सडक से जुड जाऐगा जिससे आवेदक अपनी कृषि भूमि में आसानी से आवागमन कर सकेगा क्योकिं आवेदक को अपनी भूमि में आने जाने के लिऐ कोई भी रास्ता नही है और ना ही कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिस कारण आवेदक को अपनी भूमि में आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है नजरी नक्शा सलग्नं है।

आवेदक की उक्त कृषि भूमि में आने जाने के लिऐ विद्यमान में कोई मार्ग नंही है आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम, सबसे छोटा व सुगम रास्ता है तथा जिसकी आवेदक को अत्याधिक आवश्यकता है। जिसके लिऐ आवेदक नियमानुसार अवधारित प्रतिकर संदय करने को तैयार है। आवेदक ने अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिये उक्त अनावेदक से अरसा पांच दिन पूर्व नया मार्ग बनाने/स्वीकृत करवाने के लिये आग्रह किया तो वह स्पष्ट इन्कार हो गये और स्पष्ट रूप से धमकी दी किवे आवेदक को उनकी कृषि भूमि में आवागमन के लिये अपनी भूमि मु.नं. 29 प.नं. 243/461 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता नहीं देंगे बल्कि जो रास्ता पूर्व से इन किलाजात में रास्ता चल रहा है उसे शिघ्र ही बन्द कर देगें तथा इसके लिऐ अनावेदक सं. 1 ता 3 प्रयासरत भी है तथा आवेदक का आवागमन इस कच्चा रास्ता से बाधित करने के लिऐ इस कच्चा रास्ता में खडडे खोद कर रास्ता को अवरूद्ध कर देते है रास्ता में किसी प्रकार का अवरोध ना करने का कहने पर झगडा करने पर उतारू हो जाते है तथा धमकीयां देते है कि वे आवेदक को उक्त रास्ता से उसकी भूमि में आने जाने नही देगें जबकि मु.न. 29 के कि.न.1,10,11,20,21 की लाईन के खडवजां से आगे मु.न. 37,38,40 में इसी अनुसार कच्चा रास्ता पिछले करीब 50–60 वर्षो से चालू है तथा जिसे बन्द करने का अनावेदकगण को कोई विधिक अधिकार नही है अगर अनावेदकगण आवेदक के आवागमन के इस एक मात्र रास्ता को बन्द करने में कामयाब हो गए तो इससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आ जा नही सकेगा तथा प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध होने से प्रार्थी को काफी कठिनाई[illegible]विधाओं का सामना करना पडेगा इसलिऐ प्रार्थी की ओर से आवेदन [illegible]

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक की [illegible] भूमि वाके चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.न. 37 पं.न. 243/462 में आव[illegible]न के लिऐ अनावेदकगण के धारणाधिकार, कब्जा व अधिपत्य की तहसील अनूपगढ के चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.न. 29 पं.न. 243/461 का कि.न. 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अकंन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया तथा तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनूपगढ़ चक 60 जीबी–बी के प.न. 243/462 मु.न. 37 के कि. न. 4/4 का 0.150, 5/1 का 0.228, 6/0.253, 7/1 का 0.158, 14/1 का 0.158, 15–16 का 0.506, 17/1 का 0.159, 24/1 का 0.159, 25/0.253 कुल 2.024 है. नाली दोयम प्रार्थी अजायब सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजबी सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त पूर्ण खाता रायसिंहनगर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा अनूपगढ के पक्ष में रहन दर्ज है। इसी चक के इसी प.न. व मु.न. के कि.न. 20/2 का 0.127 है. नाली दोयम अजायब सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजबी 1/3 हि., कुलवीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजबी 1/3 हि., जसवीर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति मजबी 1/3 हि. सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज है उक्त पूर्ण खाता रामसिंहपुर एसबीबीजे के रहन दर्ज है। इसी चक के प.न. 243/461 मु.न. 29, के कि.न. 13/1 का 0.127, 14 ता 25 का 3.036 कुल 3.163 है. नाली प्रथम अप्रार्थी सं. 1 अर्जुन सिंह पुत्र कान सिंह जाति जटसिख सा. देह के नाम से खातेदार दर्ज है व प.न. 243/461 मु.न. 29 का कि.न. 7 ता 9 का 0.759, 10/2 का 0.190, 12/0.253, 13/2 का 0.126 कुल 1.328 है. नाली प्रथम अप्रार्थी सं. 2 जगराज सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख सा. देह के नाम से दर्ज है। पूर्ण खाता ओबीसी अनूपगढ़ के पक्ष में रहन दर्ज है। इसी चक के प.न. 243/461 मु.न. 29 के कि.न. 1 ता 4/1.012, 10/1 का 0.063, 11/0.253 कुल 1.328 है. नाली प्रथम अप्रार्थी सं. 3 राज सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति जटसिख सा. देह के नाम से खातेदार दर्ज है व पूर्ण खाता ओबीसी अनूपगढ़ के पक्ष में रहन दर्ज है। अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 जगराज सिंह व राजसिंह रकबा की काश्त मौका पर संयुक्त रूप से कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में आने–जाने हेतु पन. 243/461 मु.न. 29 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. (16.5 फुट चौडा) रास्ता चाहा गया है। पूर्व में उक्त रास्ता चल रहा था वर्तमान में कच्चा खाला बनाकर व तारबंदी करके बंद कर रखा है। प्रार्थी व अन्य आगे के काश्तकारों के आने जाने हेतु यही रास्ता सुविधाजनक है व अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है। अप्रार्थीगणों ने उक्त प्रस्तावित रास्ता हेतु असहमती प्रकट की है। उक्त प्रस्तावित रास्ता पर श्रीमानजी के न्यायालय द्वारा स्थगन जारी है।

तदुपरांत बहस अंतिम सुनी जाकर मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार, अनूपगढ़ रिपोर्ट एवं नक्शा से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपने खेत में जाने के लिए चक 60 जी बी (डी) तहसील अ[illegible] मु.न. 29 पं.न. 243/461 का कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 [illegible] प्रार्थी [illegible] अन्य आगे के काश्तकारों के आने जाने हेतु निकटतम एवं सुगमतापूर्ण व सुविधा[illegible]क है। [illegible] रास्ता प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त है जो रास्ते के रूप [illegible]कृत किया जाना उचित है। चाहा गया मार्ग आत्यान्तिक आवश्यकता का एवं लघुत्तम मार्ग है जो मार्ग स्वीकृत किए जाने पर आवेदक की भूमि को उपलब्ध हो सकेगा। मार्ग की ऐवज में आवेदक राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के दो गुणा राशि का भुगतान करने को तैयार है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested

इस न्यायालय को किसी भी काश्तकार को रकबाराज की भूमि से रास्ता खेत स्वीकृत करने की शक्तियाँ प्राप्त होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर आवेदक की कृषि भूमि **चक 60 जी बी (बी) तहसील अनूपगढ का मु.न. 29 पं.न. 243/461 का कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में 2–2 बिस्वा** रास्ता अपने खेत में आने जाने के लिये उपयुक्त, सुगम एवं निकटतम है जो रास्ते के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता में आई भूमि की ऐवज में **राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर** (मुआवजे) **की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों** (डी.एल.सी.दर) **के दो गुणा राशि** तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। तहसीलदार अनूपगढ को आदेशित किया जाता है एवं उक्त प्रतिकर राशि जमा होने के उपरान्त तहसीलदार अनूपगढ़ स्वीकृत रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें रास्ता में आयी भूमि की राशि अप्रार्थीगण को प्रतिकर के रूप में भुगतान किया सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक **12.08.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.08.16 16:54:16 IST
Reason: SelfAttested